(9)

संख्या–966 /XVIII-(2)/2015-15(15)/2015

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, देहरादून :दिनांक 06 अप्रैल, 2015

विषयः– **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA), रूद्रप्रयाग/पिथौरागढ़ को सुदृढ़ कर पी.आई.यू. के रूप में स्थापित किये जाने तथा उनके माध्यम से केदारनाथ धाम तथा पिथौरागढ़ में पुनर्निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा के उपरान्त केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन तथा जनपद में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई (P.I.U.) गठित किये जाने तथा जनपद पिथौरागढ़ में पुनर्निर्माण कार्यों हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) पिथौरागढ़ के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई (P.I.U.) गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्तानुसार गठित पी.आई.यू. द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

1) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) रूद्रप्रयाग श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यो हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) के रूप में कार्य करेगा, जिसका सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा। पी.आई.यू. के संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) रूद्रप्रयाग के अंतर्गत स्थान सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक समस्त आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्निर्माण कार्यो को सम्पादित किया जायेगा।

3) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के अधीन 01 सिविल कार्य इकाई, 01 बाढ़ सुरक्षा इकाई एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) उत्तरकाशी कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। सिविल कार्य इकाई एवं बाढ़ सुरक्षा इकाई हेतु यथाआवश्यकता पदों का सृजन किया जायेगा।

4) पुनर्निर्माण कार्यो हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को धनराशि विभिन्न मदों यथा विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.), एस.पी.ए.–आर, राज्य सेक्टर, एस.डी.आर.एफ., सी.एम.आर.एफ., नाबार्ड इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग के निवर्तन पर रखा जायेगा। अध्यक्ष, डी.डी.एम.ए. द्वारा उक्तानुसार विभिन्न मदों के पृथक–पृथक खाते खोलकर उनका संचालन किया जायेगा।

5) श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग की विषम परिस्थितियों एवं सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की तात्कालिकता के दृष्टिगत डी.डी.एम.ए. के अधीन उपरोक्त तीनों कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा P.W.A. (Piece Work Agreement) अथवा वर्क चार्ज/मस्टर रौल पद्धति के आधार पर कार्य कराये जायेंगे।

.....2

6) उक्त कार्यदायी संस्थाओं को मस्टर रोल/वर्क चार्ज/पी.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से किसी भी कार्य को करने हेतु निम्न छूट प्रदान की जायेगी:–

I. सामग्री का क्रय P.C.R. (Purchase committee) के माध्यम से करने हेतु आपूर्ति आदेश की सीमा एक बार में रू0 25.00 लाख तक होगी।

II. P.W.A. (Piece Work Agreement) की सीमा रू0 5.00 करोड़ तक होगी, एवं P.W.A के माध्यम से कार्य करने हेतु पंजीकरण की बाध्यता नहीं होगी।

III. शासन द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) हेतु पूर्व में स्वीकृत विशेष श्रमिक दरें इस पी.आई.यू. के कार्यों हेतु भी लागू होगी।

IV. स्थान सोनप्रयाग से केदारनाथ के मध्य विभिन्न पड़ावों हेतु उक्त के अनुपात में डी.डी.एम.ए. द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिक आदि की दरें पृथक से निर्धारित की जायेगी।

V. सामग्री का ढुलान जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गयी ढुलान दरों पर किया जायेगा।

7) उक्त पुनर्निर्माण कार्यो हेतु सामान्य निविदा प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब से बचत हेतु डी.डी.एम.ए. को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 से मुक्त रखा जायेगा।

8) डी.डी.एम.ए. के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यो के तकनीकी सम्प्रेक्षण हेतु डी.डी.एम.ए. द्वारा स्थानीय 05 सदस्यीय टी.ए.सी. का गठन किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य कंसलटेंट के रूप में होगा, जो रू0 5.00 करोड़ तक के कार्यों की टी.ए.सी. हेतु अधिकृत होगी।

9) डिजाइन एण्ड सुपरविजन कंसलटेंट (डी.एस.सी.)/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पी.एम.सी.) द्वारा डी.डी.एम.ए. के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यो का प्रस्ताव यू.एस.डी.एम.ए. को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें पी.आई.यू. (आर.एण्ड बी) यू.डी.आर.पी. के साथ उनके अनुबन्ध के अंतर्गत आच्छादित कार्यो एवं अतिरिक्त कार्य अलग से दिखायें जायेंगे। अतिरिक्त कार्य हेतु डी.डी.एम.ए., डी.एस.सी./पी.एम.सी. के साथ एक पृथक अनुबन्ध करेगा।

10) डी.डी.एम.ए. की स्थानीय टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत रू0 5.00 करोड़ तक के आगणनों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति डी.डी.एम.ए. के द्वारा ही जारी की जायेगी तथा रू0 5.00 करोड़ से अधिक के कार्यो में प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस.डी.एम.ए. के माध्यम से हाई पावर कमेटी (एच.पी.सी.) के द्वारा जारी की जायेगी।

11) उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू.डी.आर.पी.)/उत्तराखण्ड इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोजेक्ट (यू.ई.ए.पी.) द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु लागू कार्य पद्धति डी.डी.एम.ए. पी.आई.यू. के ऊपर भी लागू होगी।

12) डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई की भांति ही जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत पुनर्निर्माण कार्यो हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़ को पी.आई.यू. के रूप में गठित किये जाने तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA), पिथौरागढ़ के अधीन 01 सिविल कार्य इकाई, 01 बाढ़ सुरक्षा इकाई, कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। सिविल कार्य इकाई एवं बाढ़ सुरक्षा इकाई हेतु यथा आवश्यकता पदों का सृजन किया जायेगा।

.....3

(4)

2– यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–01 NP/XXVII(5)/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– 966 (1) /XVIII-(2)/2015-15(15)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव